भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

रा य सभा

तारांकित प्रश्न संया 292*

23 माच , 2021 को पूछे जाने वाले न का उ र त

सपोट इन्जुरी सेन्टर म वित्तीय अनियमितताओं के संबंध म विशेष लेखा परीक्षा समिति □□ प्र□□□□□

*292 श्री राम नाथ ठाकु रः

क्या वा य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) स्पोट इन्जुरी सेन्टर (एस.आई.सी.), सफदरजंग अ पताल , दिल्ली म वित्तीय अनियमितताओं के संबंध म विशेष लेखा परीक्षा समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ,

(ख) उक्त समिति के निष्कष और सिफारिश क्या-क्या थ ीं;

(ग) विशेष लेखा परीक्षा समिति प्रतिवेदन पर सरकार को क्या टिप्पणियां ह;

(घ) इन निष्कषों के आधार पर अब तक क्या कारवाई को गई है;

(ङ) क्या इस संबंध मे केन्द्रीय सतकता आयोग (सी.वी.सी.) से परामश किए जाने को आवश्यकता है;

(च) इसको वतमान स्थिति क्या है और क्या सरकार लोक हित के इस मामले म कारवाई करने का इरादा रखती है , और

(छ) क्या □□□-परीक्षा समिति प्रतिवेदन बिना किसी व्यापक कारवाई के दो वष से भी अधिक समय से □□□□ पड़ा आ है और य द हां , तो इसके या कारण ह ?

उत्तर

स्वा थ्य और परिवार कल्या□ मं□ी (डॉ हष वधन)

(क) से छ): □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ ि□□□ □□□ □□□

***

f□□□□ 23.03.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न □ख□□ 292* □□□त□□ □ □□ले□□□□ □□□□□

(□) □□ (□): स्पोर्ट्स इंजरी सटर (एसआईसी) सफदरजंग अस्पताल म उपकरणों □ो खरीद म हुई विभिन्न अनियमितताओं को जाँच करने हेतु गठित विशेष लेखा- □□क्ष□ □□□□□ □□f□□□□ 30 □□म□□, 2018 □□ □त्र□□□ □□ □□□□ f□□□□ प्रस□□ □□ □□ □□□

समिति को प्रमुख सिफारिशों म अन्य बातों □□□□□-साथ निम्नलिखित शामिल ह-

i. अनियमितताओं और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के बड़े पैमाने पर उल्लंघन □□ □न्द्र□□ □□□:□□ आयोग (सीवीसी) के निदेशों पर विचार करते हुए, सरकार मामले म विस्तृत अन्वेषण पर □□□□□ □□ □□□□ □□□
ii. ओर्थोपेडिक प्रत्यारोपण □□□□□□ों को वार्षिक आवश्यकता का निष्पक्षता से मूल्यांकन किया जाए तथा □□□ □□□□□ □ किफायत के लाभ उठाते हुए, न्यूनतम □□ प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
iii. उपकरणों, साधनों और सेवाओं को उपयोगिता और प्रयोज्यता को ध्यान म रखते हुए युक्तिसंगत खरीद □ो □□□□
iv. इंडर्टिग अधिकारी (विभागाध्यक्ष) □□ गलत इंडट प्रस्तुत करने के लिए वैयक्तिक रूप से जवाबदेह □□□□□ □□□□
v. अधिक मूल्य वाले उपकरणों और साधनों को प्रयोज्यता को वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा को जाए।
vi. उपकरणों, साधनों और उपभोग्य वस्तुओं को खरीद म संवर्धित युक्तिसंगतता, उद्देश्यपरकता, □□□□f□□□ □□ f□□□□□ □□□□□□□□क्त प्र□□□□□□□□□□ □द्ध□□□□□□□□□□ □□□□□□
vii. इंडट और खरीद प्रक्रियाओं से संबद्ध अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूलों के माध्यम से सरकार, सीवीसी, भारतीय प्रतिस्पधा आयोग (सीसीआई), इत्यादि द्वारा जारी निदेशों □□ □ध्य□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

(□) □□(□): □□□□ □□□-परीक्षा समिति को विभिन्न संस्तुतियों का विस्तृत परीक्षण विभिन्न स्तरों अथात् सफदरजंग अस्पताल, एसआईसी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और मंत्रालय द्वारा किया गया□ □□□□ □□□-□□□क्ष□ समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, विभिन्न समितियों के माध्यम से मामले म विस्तृत छान-□□□ □ो गई है। जहाँ तक जवाबदेही निधारित करने का संबंध है, सतकता नियमवाली के अनुसार कारवाई को जा रही □□□

□□□□□□ व्य□□स्□□ □□□□ □□ □□□□ □□□त्र□□□ द्व□□□ □□□□□ □□□□ध□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ अनुपालन पर सख्ती से जोर दिया जा रहा है। न्यूनतम दर बोलीकता को पहचान करने हेतु निविदाओं के माध्यम से प्राप्त बोलियों के तकनीको और वित्तीय मूल्यांकन हेतु समितियाँ गठित को गई ह। इसके अलावा, □□f□□ □□□-परीक्षा दल ने केन्द्र □□□□□ □□□स्□□□□ों □ो □□ □□□-परीक्षा को है।

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) और जीएफआर पर जागरुकता सृजित करने हेतु मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और वित्त प्रभाग द्वारा समय-□□□ □□ □□□□□□□ (□□-□□□□) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए ह। व्य□□स्□□ □□□□ □□□ प्रक्रि□□ □□□□□ □न□ सक्रिय रूप से प्रोत्साहित f□□□ □□ □□□ □□□

*****